राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 03/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/11
दायर दिनांक– 09.02.2023
निर्णय दिनांक– 11.09.2025

उनवानी–

1. श्रवण पुत्र कालू जाति बलाई नि0 ग्राम कल्याणीपुरा तह0 रूपनगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रराज पुत्र घीसाराम
2. धर्मराज पुत्र घीसाराम
3. रामपाल पुत्र प्रताप
   सर्वजाति बावरी, सर्वनिवासी ग्राम खातोली तह0 किशनगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

—अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री ओमप्रकाश खोरवाल अधि0 प्रार्थी
2. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अप्रार्थीगण

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी उपखण्ड क्षेत्र का खातेदार काश्तकार है और अपनी जमीन पर पहुचने या कृषि के उद्देश्य के लिये दूसरे खातेदार के खेत से होकर एक स्थाई रास्ता विस्तृत या चौड़ा, नये रास्ते हेतु या भूमिगत पाईप लाईन ले जाने हेतु के आशय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क की उपधारा (2) के तहत अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी की कृषि आराजी राजस्व ग्राम कल्याणीपुरा पटवार हल्का रघुनाथपुरा के ख0न0 14 रकबा 1.5532 है0 भूमि स्थित है। पूर्व में प्रार्थी द्वारा रास्ते बाबत् श्रवणलाल बनाम हनुमानलाल के उनवान से प्रार्थना पत्र संख्या 12/2015 न्यायालय में पेश किया जो दिनांक 06.06.2016 को कैम्प कोर्ट नवां में खारिज किया गया जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर में की गयी जिसको आंशिक रूप से स्वीकार कर रिमाण्ड किया। पूर्व प्रकरण में समय पर सुनवाई नहीं होने पर प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में शीघ्र सुनवाई हेतु आदेश प्राप्त किया। उक्त प्रकरण की सुनवाई लम्बित है। प्रार्थी द्वारा सद्भाविक रूप से नया प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया है कि पूर्व प्रकरण के खातेदारो द्वारा बेचान करने से खातेदारी परिवर्तित हो गयी। मूल ख0न0 32 के नये नम्बर आ गये है। मूल ख0न0 32 से रास्ते के समर्पण बाबत् 257/32 गै0मु0रास्ता का खसरा नम्बर अलग हो गये तथा शेष रकबो का ख0न0 258/32 हो गया। पूर्व के खातेदार हनुमान व शंकरलाल द्वारा उक्त जमीन का बेचान वर्तमान अप्रार्थीगण को कर दिया। प्रार्थी द्वारा शुरू से ही पुराने ख0न0 32 के पूर्व दिशा की तरफ रास्ते की मांग की थी क्योकि प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि में रहवास मकान व कुआं है। प्रार्थी के आने जाने हेतु उक्त रास्ता अत्यन्त नजदीक व सुगम है। भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकती है। प्रार्थी वर्तमान में दुसरी खातेदारी की जमीन में से व चारागाह की जमीन में से होकर अपने खेत में व घर जा पाता है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

चूंकि उक्त रास्ते में बारिस के वक्त भराव हो जाता है तथा ढलान भी इसी तरफ है जिससे प्रार्थी व उसके परिवार के लोगो के तथा मवेशियों के आने जाने की रूकावट पूर्णतया हो जाती है। जिससे प्रार्थी अपनी जमीन, रहवास मकान उपयोग, उपभोग नहीं कर पाता है। इसलिये प्रार्थी ख0न0 32 के वर्तमान ख0न0 260/258 के पूर्व दिशा की तरफ ही रास्ता चाहता है जिससे प्रार्थी का आना जाना था जिसको बन्द कर दिया गया। रास्ते बाबत् समर्पणनामा का नामानतरण अभी दिनांक 07.09.2021 को किया गया जिसके ख0न0 257/32 है यदि ख0न0 257/32 की राजस्व ट्रेस नक्शे में खसरा नम्बर 260/258 पुराने नम्बर 32 के पूर्व दिशा में अंकन किया जाता है तो रास्ते की समस्या का हल हो जायेगा। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि प्रार्थी को ख0न0 260/258 व पुराने ख0न0 32 के पूर्व दिशा की तरफ ही आने जाने के लिये रास्ता उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी संख्या 4 का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को तामिली हेतु रजिस्टर्ड डाक से सूचना भिजवायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक थल व पटवारी हल्का रघुनाथपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपौर्ट व नजरी नक्शा अनुसार ग्राम कल्याणीपुरा के ख0न0 14 की भूमि में आने–जाने हेतु ख0न0 260/258 की पूर्वी व ख0न0 13 की पश्चिमी सीमा पर रास्ता दिये जाने पर ख0न0 260/258 के टुकड़े होंगे। इसलिये ख0न0 260/258 की उत्तरी सीमा व ख0न0 15 की दक्षिणी सीमा से होते हुये ख0न0 14 तक पहुंच हेतु रास्ता दिया जाना उचित है और यह रास्ता ख0न0 257/32 सरकारी रास्ता में से होकर प्रार्थी के खेत ख0न0 14 में पहुंच का सबसे निकटतम रास्ता है। ग्राम कल्याणीपुरा के ख0न0 260/258 में से 18 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने पर रकबा 0.0828 हैक्टर होगा। ग्राम कल्याणीपुरा की डी0एल0सी0 दर 205603/–रू प्रति हैक्टर अनुसार भूमि की कीमत 17024/–रू बनती है जिसकी दुगुनी राशि 34048/–रू बनती है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 14 में आने जाने हेतु ख0न0 260/258 के पूर्व दिशा की ओर से सरलतम, सुगमतम व निकटतम रास्ता है। इसलिये प्रार्थी को अपने खेत पर आने–जाने हेतु ख0न0 260/258 के पूर्व की ओर से ही रास्ता प्रदान करवाने के आदेश फरमावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तहसीलदार रूपनगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के ग्राम कल्याणीपुरा ख0न0 14 में आने–जाने हेतु ख0न0 260/258 के उत्तर दिशा से होते हुये सरकारी रास्ता ख0न0 257/32 तक पहुच होती है। प्रार्थी के चाहे अनुसार ख0न0 260/258 के पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता प्रदान करने पर ख0न0 260/258 के टुकड़े होना सुनिश्चित होता है। इसलिये प्रार्थी द्वारा चाहे गये ख0न0 260/258 के पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिये तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा अपने जवाब व नजरी नक्शा में अंकित ख0न0 260/258 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। यह रास्ता सरलतम व सुगमतम व निकटतम है। तदनुसार प्राथी की खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणीपुरा के ख0न0 14 तक आवागमन हेतु ख0न0 260/258 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे जो ख0न0 257/32 तक पंहुच रखता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांकित 04.12.2024 में अंकित व संलग्न नजरी नक्शे अनुसार ख0न0 260/258 की उत्तरी दिशा के सहारे–सहारे 18 फीट चौड़ा रास्ता की लम्बाई जिसका रकबा 0.0828 हैक्टर रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त गैर मुमकिन रास्ते का पृथक से खसरा नम्बर कायम कर राजस्व नक्शे में अंकन किया जावें। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रार्थी को खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु ख0न0 260/258 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता दिये जाने पर रास्ता भूमि का रकबा 0.0828 है0 बनता है। प्रस्तावित रास्ता ख0न0 260/258 प्रयुक्त होने पर उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर अनुसार रकबा 0.0828 है0 की राशि 17024/–रू रूपये बनती है। जिसकी दुगुनी राशि 34,048/–रू अक्षरे चौतीस हजार अड़तालीस रूपये बनती है। खसरा नम्बर 260/258 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे में से रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाला रकवा, खातेदार एवं रकम का विवरण निम्नानुसार है–

क0स0	ख0न0	खातेदार	रकबा (है0)	दुगुनी राशि
01	260/258	इन्द्रराज पुत्र घीसाराम	0.0276	11350
02	260/258	धर्मराज पुत्र घीसाराम	0.0276	11350
03	260/258	रामपाल पुत्र प्रताप	0.0276	11350

प्रार्थी द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को न्यायालय आदेश अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)